

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

दिनांक : 02.12.2023

क्रमांक : ५९

कार्यालय आदेश


में अधोहस्ताक्षरकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व 410(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह दिसम्बर 2023 में अग्रवर्णित शासकीय अवकाश में उदयपुर जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दायिद्वक कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड अवधि बढ़ाने तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे – मृत्यु कालीन कथन/इन्क्वेस्ट आदेश व अन्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को समय 10:00 ए.एम. से 12:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करता हूँ :-

december 2023 Remand Duty			
क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नम्बर
1	03.12.2023	श्री भरत पूनिया, C.J. & J.M. (North), Udaipur	9829513525

नोट : (1) उक्त वर्णित अवकाश में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे तथा स्वयं की अनुपरिस्थिति में उपर्युक्त कार्य जिला मुख्यालय उदयपुर के दंडाधिकारी न्यायालयों हेतु अधिकृत उक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाएंगे। उक्त वर्णित अधिकारी अपने रिमांड ड्युटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(2) किसी भी राजकीय/स्थानीय अवकाश दिवस के पूर्व अथवा पश्चात कार्य दिवस को किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में घोषित अवकाश दिवस हेतु रिमांड ड्युटी, घोषित अवकाश के निकटतम पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वहन की जाएगी।

(3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमांड ड्युटी करने में असमर्थ रहता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमांड ड्युटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके ही पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

दिनांक :

क्रमांक – स्थापना/2023/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है –

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय, उदयपुर।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
5. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. बार एसोसिएशन, उदयपुर


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

01 C